प्रस्ताव का प्रारूप

1. प्रस्ताव शीर्षक
2. आवेदनकर्ता संस्था या संस्थान का नाम व पता
3. उत्तरदायी व्यक्ति का फोन एवं फैक्स नम्बर
4. वैधानिक पहचान/स्थिति
5. संस्था का संक्षिप्त इतिहास
6. अन्य सरकारी संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त
7. क्षमता और अनुभव
   संक्षेप में, संस्था की क्षमता, स्टाफ, आधारभूत संरचना (स्वामित्व अथवा किराये पर) एवं परियोजना संचालन हेतु प्रशासनिक/आर्थिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। महिला सशक्तिकरण एवं कार्यबोझ कमी एवं जनसाधारण के साथ कार्य संम्बधी अपने अनुभव एवं कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
8. प्रशिक्षण क्षेत्र का विवरण
   संक्षेप में प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु सुनिश्चित क्षेत्र तथा रेल, वायु एवं जल मार्ग से क्षेत्र तक पहुंच स्थान विवरण एवं जनसंख्या का अध्ययन, सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां और की जाने वाली सार्वजनिक व निजी विकास की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए ।
9. प्रशिक्षण लाभार्थी
   योजना के तहत् आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगीः–
   - लाभार्थी निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग से होनी चाहिए।
   - लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए।
   - लाभार्थी उत्तराखण्ड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
   - लाभार्थी किसी अन्य योजना से समान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए।
10. प्रस्तावित प्रशिक्षण का उद्देश्य
    प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के सम्बन्ध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते है तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्ति की अवधि का वर्णन किया जायेगा।
11. परियोजना हेतु क्रियाविधि/प्रक्रिया
    अपनायी जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। प्रबन्ध तंत्र एवं परियोजना की अवधि का वर्णन करें। परियोजना गतिविधि क्रियान्वयन चार्ट (संलग्नक–1) बनाते हुए प्रस्ताव के साथ जमा करें।

    क्या प्रस्ताव को कोई विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता है। वे क्या है? क्या वे प्राप्त की गई है ?
12. औचित्य
    यह स्पष्ट करें कि प्रस्तुत प्रशिक्षण में किस प्रकार सफलता प्राप्ति की प्रबल सम्भावना है एवं अवसर तथा जोखिम उपस्थित है। यदि सम्भव हो तो राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर समान विकास की पहलों का वर्णन करते हुए उनसे परियोजना की तुलना प्रस्तुत की जाये।
13. परामर्श प्रक्रिया
    प्रस्ताव के निर्माण हेतु परामर्श प्रक्रिया का वर्णन करें। विशेषकर स्थानीय समुदाय का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाये। यदि स्थानीय पंचायतों/स्वयं सहायता समूहों/समुदाय आधारित संगठनों/गैर सरकारी संगठनों से परामर्श लिया गया है तो

उसका विशिष्ट रूप से उल्लेख करें। प्रस्ताव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मियों का उल्लेख किया जाये।

परियोजना प्रस्ताव आवश्यकीय रूप से हितभागियों (जैसे– समुदाय, पंचायतीराज संस्थाएं एवं रेखीय विभाग आदि) की संयुक्त बैठक के प्राप्ति–निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए।

समूहों का "स्वाट विश्लेषण"' (मजबूती, कमजोरी, संभावनाऐं, खतरे) एवं नमूना आधारभूत सर्वेक्षण संलग्न करने की सलाह दी जाती है ताकि आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सके।

14. क्रियान्वयन

क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित संस्थात्मक संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न स्तरों के स्टाफ/स्वयं सेवकों की भूमिकायें एवं दायित्व विशिष्ट रूप से स्पष्ट किये जाए। प्रशासन, लेखा, कार्यक्रम के उद्देश्य एवं अनुश्रवण हेतु अधिकार एवं नियंत्रण प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। परियोजना हेतु स्टाफ के चयन की प्रक्रिया, अपेक्षित अर्हता एवं मानदेय का वर्णन किया जाए। कृपया स्पष्ट करें कि परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्थल कहां स्थित होंगे, साथ ही यथासम्भव स्थल पर उपलब्ध स्टाफ का डाक पता, टेलीफोन नम्बर एवं नाम बताया जाये। इस भाग में गतिविधियों के आयोजन का अनुक्रम तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त सूचना दी जाएगी। गतिविधियों की समय सारिणी तथा सूचकांकों को दर्शाया जायेगा।

15. क्रय प्रणाली

आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु आमंत्रण एवं विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया जाये। यह स्पष्ट करें कि क्रय प्रणाली किस प्रकार मुक्त, न्यायपूर्ण एवं प्रतियोगितात्मक होगी।

16. पुनरावृत्ति एवं निरंतरता

प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव में निहित उन मापकों को उजागर कीजिए जो विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यक्रम में लचीलापन एवं ग्राह्यता सुनिश्चित करती हो। उन विशेष सफल लक्षणों को चिन्हित कीजिए जिनकी पुनरावृत्ति की जा सके।

परियोजना की निरंतरता हेतु प्रस्तावित कार्यवाहियों का उल्लेख करें। क्या आपकी संस्था सहायक–ऋण, समानान्तर कोष/रिवाल्विंग फंड/मितव्ययी एवं ऋण योजना तंत्र विकसित एवं प्रोत्साहित कर सकती है जिससे अधिनिकास सुविधा हेतु एक उचित योजना एवं अनुबंध बैंकों से सुनिश्चित किया जा सके। जो परियोजना को मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना की वित्तीय स्वीकृति समय सीमा के पश्चात एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में निरंतरता प्रदान कर सके।

उन कार्यवाहियों का उल्लेख करें जिससे रेखीय विभागों, अनुसंधान संस्थानों एवं विपणन एजेन्सियों से सम्बंध स्थापित किया जा सके ताकि अग्रगामी एवं पश्चगामीं सम्बंध सुनिश्चित किए जा सके।

17. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उद्देश्यों की प्राप्ति संबंधी उपलब्धियों को समय–समय पर मापने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करें। जहां संभव हो, उन विधियों का समावेश किया जाए जिनके उपयोग से लाभार्थी स्वयं अथवा स्थानीय समुदाय अथवा पंचायत द्वारा परियोजना का अनुश्रवण किया जा सके।

प्रारम्भिक एवं समापन उपरान्त आधारभूत सर्वेक्षण प्रभाव मूल्यांकन हेतु अनिवार्य है। परियोजना के प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगति मापक सूचकांको तथा चिन्हों का उल्लेख किया जाये। कार्यपूर्ति मापकों की पुर्नजॉच तथा प्रमाणन किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर आख्या दी जाये। कार्यपूर्ति ऑकड़ों का संग्रहण कैसे होगा तथा उनकी पुष्टि किस प्रकार की जायेगी, इसका वर्णन किया जाये।

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर अपेक्षित परिणामों के संबंध में बताया जायेगा (सर्वोत्तम एवं न्यून आगणन)। यदि परिणाम अपेक्षित स्तर के नहीं होते हैं तो माध्यमिक लक्ष्य, जो पूर्ण हो सकेंगे उनका वर्णन किया जायेगा।

18. पारदर्शिता

जनसामान्य को परियोजना संम्बधी सूचना किस प्रकार उपलब्ध होंगी तथा उक्त सूचना किस माध्यम से प्राप्त की जाएगी, इसका वर्णन किया जाए। सहयोगी संस्थाए सूचना के अधिकार अधिनियम मे निहित प्रावधानों को मानने हेतु बाध्य होगी।

19. <u>लागत सारांश</u>
अधिकतम 03 माह हेतु बजट मदों की सूचीं संक्षेप मे उल्लेखित करें। इस हेतु नमूना फार्मेट संलग्नक–02 मे रक्षित हैं। कृपया वार्षिक आधार पर प्रति–लाभार्थी परियोजना लागत एवं लागत–लाभ अनुपात का अवलोकन दर्शाइये ।

20. निर्धारित प्रक्रिया का अनुसारण करने के उपरान्त स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्तावों को भुगतान प्रथम किश्त 70%, द्वितीय किश्त 20% एवं तृतीय किश्त 10% में किया जायेगा।

21. <u>अन्य विचारणीय बिन्दु</u>
    1. परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    2. परियोजना कार्यक्षेत्र दर्शाता जिले का एक मानचित्र ।
    3. सस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र। संस्था उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो या उसका पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड में हो।
    4. संस्था का स्मृतिपत्र एवं नियमावली की सत्यापित प्रति।
    5. सम्परीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपि, जैसे– प्राप्ति और भुगतान खाते, आय और व्यय खाते, विगत 03 वर्षों की बैलेन्स शीट मय सम्परीक्षक प्रमाण पत्र एवं आख्या।
    6. विगत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति आख्याएं ।
    7. स्टाफ की सूची मय पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर ।
    8. प्रबंधकार्यकारिणी सदस्यों की सूची ।
    9. क्रियान्वित की गयी परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची मय स्वीकृत बजट विवरण। सभी परियोजनाओं एवं विशेषतः महिला सम्बन्धी परियोजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वीकृती पत्र एवं बजट संलग्न करें।

पद व मोहर सहित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सामान्य निर्देश

1. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में, जो ए–4 साइज सफेद बाण्ड पेपर में डबल लाइन स्पेस में टंकित हो जमा किए जाए ।
2. भाषा सरल, स्पष्ट एवं बिन्दुवार होनी चाहिए। कृपया पुनरावृत्ति न करें।
3. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव समस्त प्रासंगिक आंकडों, जानकारियों एवं दस्तावेजों से परिपूर्ण हो। अधूरे परियोजना दस्तावेज स्वीकार्य नही होंगे ।
4. अनुमानित लागत निर्धारण संक्षिप्त एवं सावधानीपूर्वक निकाले जाए। सामयिक/अस्थायी मूल्य निर्धारण उपलब्ध कराते हुए अधिकतम सीमा तक तथ्यात्मक रहें। कार्य के समयबद्ध पूर्णता हेतु यह संस्तुत किया जाता है कि कीमत चढाव एवं आडिट लागत संबंधी मदों को वर्षवार बजट एवं वित्तीय योजना में प्रस्तुत किया जाए।
5. विशेषज्ञ सलाह, पर्याप्त पृष्ठभूमि अनुसंधान एवं अध्ययनों पर निर्मित परियोजना प्रस्ताव परियोजना स्वीकृति समिति को शीघ्र स्पष्टता कराने में सक्षम होगा।
6. प्राप्तकर्ता संस्था मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत, समुदाय हेतु समस्त पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित समस्त परिसम्पत्तियों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करेंगे।
7. अधिकतम दो पृष्ठों का परियोजना प्रस्ताव सारांश विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आरम्भ मे संलग्न होना चाहिए। सारांश में परियोजना का शीर्षक, स्थान,(गांवों की संख्या, ब्लाक, जिला), परियोजना का उद्देश्य, प्राप्त किए जाने वाले साधन, अपेक्षित परिणाम, मुख्य लाभार्थी, अवधि, अपेक्षित कार्यारम्भ एवं समापन तिथि, कुल लागत, मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना का योगदान, स्थानीय योगदान, अन्य दाता योगदान और बजट सारांश का संक्षेप में वर्णन करें। परियोजना आवश्यकता पूर्ति में यदि किसी अन्य एन.जी.ओ. अथवा दाता संस्थाओं से साझेदारी एवं समान्तर वित्त पोषण, तकनीकी सहयोग आदि की भूमिका हो तो उसका संदर्भ दीजिए ।
8. मुख्य विकास अधिकारी या सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी के पत्र द्वारा परियोजना प्रस्ताव मय सहायक दस्तावेज निम्न पते पर प्रेषित करें:–

   निदेशक/उपाध्यक्ष,
   राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई,
   उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति,
   निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
   निकट–नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़,
   प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।